भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं०– 179A/2017–18

करन बोदरा **बनाम** अनिता उराँव

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
20-06-18		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 632 दिनांक 28.04.2018 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 179A/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता करन बोदरा, पिता स्व० रुईदास बोदरा, ग्राम–दुगनी, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावां ने पुराने मकानों के मरम्मति हेतु क्रेता अनिता उराँव पिता स्व० दूलाल उराँव, ग्राम–घोड़ालोंग, थाना–सरायकेला जिला–सरायकेला–खरसावां को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
दुगनी	199	263	420	3.75डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के परदादा के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। आवेदक के हिस्से में 2.30 एकड़ जमीन है, जिसमें से 3.75 डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.26¼ एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जाति 'हो' एवं 'उराँव, है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 3.75डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

20/06/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner